ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Govt. of India
(Department of Animal Husbandry and Dairying)
NIAW Campus, 42 Mile Stone, Delhi-Agra Highway
NH-2, Ballabhgarh, Haryana-121004
Email: animalwelfareboard@gmail.com : Website: www.awbi.in

No.9-14/2020-2021-PCA/ Dt. 15.12.2020

To
The District Magistrate
Udham sing Nagar, Uttrankhand
Email :-dm-usn-ua@nic.in

Sir,

Sub: Alleged complaint regarding the death of horse in Sitarganj Nagarpalika, Udham singh Nagar. Please take a strict action against the offenders - Reg

Ref.: AWBI letter dated 29.10.2020 for substandard food and proper treatment of horse in Sitarganj Nagarpalika.

With reference to the above cited subject, it is brought to your notice that this is a reminder to our letter 19.10.2020 (copy enclosed). It was requested to you to conduct a detailed inquiry and take appropriate action as per law and to send detailed report of the same. However, the board has not received any information till date. It is also further that the horse has been died due to improper treatment by Sitarganj Nagarpalika and doctors. A copy of the e-mail is forwarded for your kind perusal and further directions.

Cruelty to animals is an offense under Section 3 and Section 11(1) of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 & its Rules and Section 428 and 429 of the Indian penal code.

The Hon'ble Supreme Court had directed to take action against the erring officials as per the Para 77 of the S.L.P.No.(C) 11686 of 2007, Animal Welfare Board of India Vs A.Nagaraja & Others and the department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension had issued guidelines vide F.No.30/9/2006-Welfare dated 26.5.2006 to take action against such personnel violating the laws. The copies of the same is attached herewith for your information.

In view of the above, it is requested to immediately take stringent action againt all the offenders as per law.

Forward a detailed action taken report to the Board within 7 days for further necessary action.

"Please treat this as most urgent".

Yours sincerely,

(Dr.S.K.Dutta)
Secretary

Copy to: for information and further appropriate action.

1. The Director, Dept of Animal Husbandry, Dehradun (Uttrakhand)
   Email:- dirahuk@gov.in
2. The Superintendnt of Police, Udham Singh Nagar, Email:-ssp-usn-ua@nic.in
3. The Officer- Incharge, UK-AWB, Dehradun. Email:-uttrakhandawb@gmail.com
4. Shri Yogrndra Kumar Sudarshan News Email:- alaknandayogi1971@gmail.com

Gmail

Legal Assistant awbi <legalassistantawbi@gmail.com>

Fwd: इलाज करा रहे पीड़ित घोड़े की देखभाल में हुयी लापरवाही की जांच के सम्बन्ध में
1 message

Animal Welfare Board of India <animalwelfareboard@gmail.com> 7 December 2020 at 11:13
To: heo awbi <heoawbi2019@gmail.com>, legalassistantawbi@gmail.com

Thanks & Regards,
Animal Welfare Board of India (AWBI)
Department of Animal Husbandry and Dairying
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Govt. of India

www.awbi.in

---------- Forwarded message ---------
From: **Yogendra Kumar** <alaknandayogi1971@gmail.com>
Date: Sat, Dec 5, 2020 at 12:06 AM
Subject: Fwd: इलाज करा रहे पीड़ित घोड़े की देखभाल में हुयी लापरवाही की जांच के सम्बन्ध में
To: <animalwelfareboard@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
From: **Yogendra Kumar** <alaknandayogi1971@gmail.com>
Date: Sat, Dec 5, 2020 at 12:04 AM
Subject: इलाज करा रहे पीड़ित घोड़े की देखभाल में हुयी लापरवाही की जांच के सम्बन्ध में
To: Yogendra Kumar <alaknandayogi1971@gmail.com>

सितारगंज, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड.

दिनांक: 03/12/2020

सेवा में,
श्रीमान सचिव महोदय,
भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड

विषय : (नगरपालिका सितारगंज में पीनाइल कैंसर से पीड़ित घोड़े की इलाज के दौरान नगरपालिका सितारगंज द्वारा देखभाल में हुयी लापरवाही और अंततः उसकी मृत्यु के वास्तविक कारणों की जांच के सम्बन्ध में)

महोदय,

नगरपालिका सितारगंज में पीनाइल कैंसर से पीड़ित एक घोडा 09/10/2020 को इलाज के लिए लाया गया था, जो लगभग बीते पांच छः महीनो से सितारगंज की सडको पर अपनी बीमारी को लिए इंसानो की दया की आस में घूम रहा था. शुरू में इस घोड़े का इलाज सितारगंज के पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर जीतेन्द्र कुमार जी ने पंतनगर वेटरनरी कॉलेज के डॉक्टर से परामर्श करके किया था. डॉक्टर जीतेन्द्र कुमार जी द्वारा घोड़े का इलाज पूरी लगन और मेहनत से किया था और इस बात का साक्षी प्रार्थी स्वम् है. लेकिन शुरू में नगरपालिका सितारगंज द्वारा इस घोड़े की देखभाल में गंभीर लापरबाही बरती गई जिसका प्रतिकूल असर घोड़े के स्वस्थ्य पर पड़ा दिखाई पड़ रहा था. इस सम्बंद में प्रार्थी ने पशु कल्याण बोर्ड उत्तराखण्ड को एक शिकायत पत्र भी लिखा था इसी शिकायत पत्र की एक एक मेल माननीय एस डी एम सितारगंज, माननीय डी एम ऊधम सिंह नगर तथा माननीय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ऊधम सिंह नगर को भेजी थी. माननीय उपजिलाधिकारी सितारगंज आदरणीय मुक्ता मिश्र ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल कार्यबाही की जिसके बाद नगरपालिका सितारगंज के घोड़े के प्रति रवैये में सुधार आया. लेकिन प्रार्थी को लगता है कि घोड़े की देखभाल में नगरपालिका सितारगंज की ओर से की गई घोर लापरबाही घोड़े के स्वस्थ्य पर अपना असर कर चुकी थी. शुरू में घोड़े को गंदी व दूषित जगह में बाँधा जाता था जिससे उसका घाव बार बार दूषित होता रहता था और उसका घाव ठीक होने में अधिक समय लगता गया. संभवतया इसी कारण घोडा दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया. घोडा तीन दिन तक खड़ा नहीं हो पाया तो नगरपालिका ने घोड़े को पंतनगर वेटरनरी कॉलेज के लिए रेफेर करा लिया जहा इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई बताई जाती है. इस बात की जानकारी प्रार्थी को नगरपालिका अधिकारी से फ़ोन पर चली.

...य, ये घोडा अपनी गंभीर वीमारी को लिए कई महीनो से नगरपालिका क्षेत्र सितारगंज में घूम रहा था लेकिन नगरपालिका सितारगंज ने इस ...कोई घ्यान नहीं दिया. यदि इस घोड़े का इलाज समय से हो गया होता तो हो सकता था कि घोड़े की जान बच जाती लेकिन समय रहते इलाज ...राना ...र. नगरपालिका सितारगंज ने इलाज के दौरान इस घोड़े की देखभाल में जिस प्रकार उदासीनता और लापरवाही दिखाई उसके कारण (प्रार्थी को लगता है कि) घोडा ठीक नहीं हो सका और उसकी मृत्यु हो गई. प्रार्थी को लगता है कि इलाज करा रहे घोड़े के प्रति नगरपालिका सितारगंज द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया गया और इसकी जांच होनी अति आवश्यक है. महोदय, प्रार्थी ये भी निवेदन करता है कि मामले की जांच करने वाले सम्मानित अधिकारी जांच में प्रार्थी का भी सहयोग ले ताकि प्रार्थी जांच अधिकारी को इस मामले में हुई लापरवाही से अवगत करा सके.

महोदय, प्रार्थी आपसे निवेदन करना चाहता है कि इस घोड़े के इलाज में देरी और इलाज के दौरान नगरपालिका द्वारा इसके रख रखाव सम्बंधित सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कराई जाए. महोदय प्रार्थी का आपसे निवेदन है कि इस मामले के हर पहलू की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराई जाए और जो भी इस घोड़े की मृत्यु के लिए दोषी हो उस पर उचित कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में कोई भी पशुओं के प्रति क्रूरता का व्यवहार ना करे.

महोदय, जो भी हुआ हो और जिसने भी किया हो, घोड़े के प्रति घोर लापरबाही तो हो चुकी, जिसकी कीमत घोड़े को अपनी जान गवाकर चुकानी पड़ी. घोड़े को समय से समुचित इलाज नहीं मिला जिसके कारण ये घोडा महीनो सितारगंज की सडको पर इंसानो की दया की उम्मीद से भटकता रहा और किसी को इस घोड़े पर दया ना आयी.

महोदय 11/10/2020 से 03/11/2020 तक पीड़ित घोड़े को नगरपालिका सितारगंज द्वारा किस प्रकार के वातावरण में रखा गया और उसका घोड़े के स्वस्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा होगा ये बताने के लिए कुछ फोटो भेज रहा हूँ जो मैंने अलग अलग दिनों में नगरपालिका जाकर लिए थे.

महोदय प्रार्थी एक पशु प्रेमी है और कई वर्षो से पशुओं के हितार्थ कार्य करता चला आ रहा है अतः सविनय निवेदन है कि इस मामले की जांच के परिणाम की एक प्रति प्रार्थी को भी मेल की जाय ताकि असंतुष्ट होने पर प्रार्थी इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड की शरण में ले जा सके और इस जांच की प्रति को माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के समक्ष प्रस्तुत कर सके.

सधन्यवाद.

प्रार्थी
योगेंद्र कुमार (रिपोर्टर सुदर्शन न्यूज़ चैनल, सितारगंज)
Mobile - (8218072632) Email id (alaknandayogi1971@gmail.com)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
१. माननीय उपजिलाधिकारी सितारगंज, जिला ऊधम सिंह नगर उत्तराखण्ड.
२. माननीय जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड.
३. माननीय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड.
४. माननीय पशु कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड.
५. पेटा इंडिया.

5 attachments

h7_1606030684337.mp4
3495K

h5_1606030684335.mp4
1576K

h10_1606030684341.mp4
2062K

h11_1606030684342.mp4
3004K

h12_1606030684343.mp4
4779K